रा.प. महामंडळातील बारामती येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भुखंड एक्स १२ या जागी कामाकरीता खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन गृह विभाग

शासन निर्णय क्र : एसटीसी-०२२४/प्र.क्र.२७/परि-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२४

संदर्भ :-

- 9) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. यांचे पत्र क्र. राप/स्थाअ/कामे/९२५, दि.२२.०२.२०२४.
- २) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.४०/इमा-१, दि.२९.०६.२०२४.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील बारामती येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भुखंड एक्स १२ या जागी विभागीय कार्यालय, विभागीय कार्यशाळा, बसथानक, बसडेपो, आगार व्यवस्थापक निवासस्थान, कर्मचारी सदिनका नव्याने बांधणे इ. विकासात्मक कामांसाठी एकूण रु.१०८.८७ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.मुख्य सिचव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरिय सिचव सिमतीसमोर ठेवण्यात आला.

दि.२७ जून २०२४ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये रा.प.बारामती येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भुखंड एक्स १२ या जागी कामासाठी एकूण रु.७८,३७,१४,३९८/- (अक्षरी रुपये अङ्घात्तर कोटी सदतीस लाख चौदा हजार तीनशे अङ्घान्नव फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजीत रकमेस उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे.

शासन निर्णय :-

उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार रा.प. बारामती येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भुखंड एक्स १२ या जागी कामासाठी एकूण रु.७८,३७,१४,३९८/- (अक्षरी रुपये अट्ट्यात्तर कोटी सदतीस लाख चौदा हजार तीनशे अट्टयान्नव फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:-

- अ) सदर कामाच्या बांधकाम खर्चामध्येच महिलांकरीता डॉर्मिटरी बांधण्यात यावी.
- (आ) सदर काम खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास

अनुसरुन असण्याची खातरजमा करण्याच्या तसेच अशा नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखड्यास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्याची कार्यवाही रा.प.महामंडळाने करावी.

- (इ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे.
- (ई) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.
- (उ) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ ता.क. १, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- (ऊ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात येईल.
- (ए) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- (ऐ) जुन्या अस्तित्वातील इमारतीचा वापर पूर्ण अथवा पूरक करावा
- २. सदर कामाचे RECAPITULATION SHEET यासोबत जोडली आहे.
- ३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन ००-१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र सार्वजिनक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८१९१४५७८१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(जयसेन इंगोले) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत.

- १) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई.
- ४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

- ५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई.
- ६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर.
- ७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

| Name of the Department : Home Department Name of Work : Construction of Divisional Office, Divisional Workshop, Bus Stand, Bus Depot, Divisional | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|
| Manager and Staff Quarters at Maharashtra Industrial Development Corporation at Baramati, Dist - Pune. | | | | | | | |
| Executing Agency: Public Works Department | | | | | | | |
| Land Availability : Yes | | | | | | | |
| r | | | | | | | |
| Architect : Private | | | | | | | |
| RECAPITULATION SHEET | | | | | | | |
| Sr. | Particulars of Scope Unit Rate Norms | | | | Cost | | |
| No. | | | Rs Per (Sqmt./ | | Component | Total | |
| | | Meter/ LumpSum | | | Wise | | |
| | (A) ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | | |
| 1 | Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | | | |
| | Divisional Office (G+1) | 1984.60 | | 28,000 | 55,568,800 | | |
| | Bus Depot (Structral Steel & GI Sheet) | 1660.50 | | 22,000 | 36,531,000 | | |
| | Workshop (Structral Steel & GI Sheet) | 9774.05 | | 22,000 | 215,029,100 | | |
| | Dormatery | 193.06 | | 28,000 | 5,405,680 | | |
| | Club House | 503.40 | Sq. M | 28,000 | 14,095,200 | | |
| | Total | 14115.61 | Sq. M | | | | |
| | Divisional Manager & Staff Quarters (As per Govt. Type Plan) | | | | | | |
| | Type IV (Div Manager - 2 Qtrs) | 221.76 | | 28,000 | 6,209,280 | | |
| | Type II (12 Qtrs) (G+3) | 760.32 | | 28,000 | 21,288,960 | | |
| | Type II (Parking) | 210.00 | | 16,000 | 3,360,000 | | |
| | Type I (28 Qtrs) (G+7) | 1370.88 | | 28,000 | 38,384,640 | | |
| | Type I (Parking) | 280.00 | | 16,000 | 4,480,000 | | |
| | Total | | | 10,000 | 4,460,000 | | |
| | | 2842.96 | | | Code Total (A4) | 400 050 000 | |
| 2 | Total B.U.A. = | 16958.57 | Sq. IVI | F0/ of /A4\ | Sub Total (A1) | 400,352,660 | |
| 2 | Electrification | Internal External | | 5% of (A1) 6% of (A1) | 20,017,633 24,021,160 | | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | LXterrial | | @800/Sq.M | 13,566,856 | | |
| | Lift | 2 | | 2,000,000 | 4,000,000 | | |
| | Pump house, bore well etc | | | L.S. | 3,000,000 | | |
| | AB Room, Area Lighting, Pumps, Generator | | | L.S. | 5,000,000 | | |
| | CCTV | | | L.S. | 500,000 | | |
| | | | | | Sub Total (2) | 70,105,649 | |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (/ | A1) | Sub Total (3) | 20,017,633 | |
| | Furniture (14115.61 Sq.M. x70%) | 9880.93 | | 5000 | Sub Total (4) | 49,404,635 | |
| | | | | | | | |
| (B) | (B) MISCELLANEOUS ITEMS | | | | | | |
| (-) | Compound Wall & Gate (Rmt.) | 1800.00 | Rmt | 8,000 | 14,400,000 | | |
| | Water Main Storage | 200000.00 | | 23 | 4,600,000 | | |
| | Dismentalling | | | L.S. | 2,500,000 | | |
| | Internal, Land Development, Parking, Land | | 4.5 | 5% of (A1) | | | |
| | Scaping, Soil Investigation etc. | | 4.5 | 9% OF (A1) | 18,015,870 | | |
| | | | | | Sub Total (B) | 39,515,870 | |
| | | | | | st (P)= (A) + (B) | 579,396,446 | |
| (C) | PROVISIONS | | | | | | |
| | (i) Contingencies 4% on (sub total A-1) 16 | | | | | | |
| | (ii) GST 18% on (P) | | | | 104,291,360 | | |
| | (iii) Price Escalation 5% on (P) | | | | 28,969,822 | | |
| | (iv) PMC Charges 3.5% on (P) | | | | 20,278,876 | | |
| | (v) Labour Insurance 1% on (P) | | | | 5,793,964 | | |
| | (vi) Centage Charges 5% on (P) | | | | 28,969,822 | | |
| | | | | | Sub Total (C) | 204,317,951 | |
| | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) | | | | | 783,714,398 | |
| | Say Rs. Lakhs | | | | | .14 | |
| 1 | Bldg Civil (A1) | | | | /Sam | | |
| | | | | | | | |
| | 2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) = R: 31,835 | | | | | | |
| 3 | Total (A+B) | | `= R | 34,165 | /Sqm | | |